भारत संघ और अन्य

बनाम

मनु देव आर्य

27 अप्रैल, 2004

[वी.एन. खरे, सीजे, एस.बी. सिन्हा और एस.एच. कपाडिया, जे.जे.]

सेवा कानून;

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 14 और 39(डी) - समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत - एक नीतिगत निर्णय के तहत निश्चित वेतनमान से नीचे के पदों के लिए गैर-अभ्यास भत्ता नहीं बढ़ाया गया - उच्च वेतनमान के अनुरूप वृद्धि का दावा - उच्च न्यायालय द्वारा गैर-वृद्धि को भेदभावपूर्ण माना गया - अपील में, अभिनिर्धारित: भत्ते का निर्धारण एक पॉलिसी का मामला है - कर्मचारी अधिकार के रूप में इसका दावा नहीं कर सकते - यदि कर्मचारियों की एक शाखा को अन्य शाखा के कर्मचारियों को कोई वित्तीय हानि पहुँचाए बिना भत्ते की अधिक राशि का भुगतान किया जाता है, तो यह असमान व्यवहार नहीं होगा - राज्य के एक नीतिगत निर्णय जब तक कि किसी के कानूनी अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है, उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है - प्रशासनिक कानून - नीतिगत निर्णय।

प्रत्यर्थी, केंद्रीय अनुसंधान परिषद होम्योपैथी के एक अनुसंधान सहायक को पूर्व-संशोधित पैमाने (संशोधित पैमाने 1400-2300) में गैर-अभ्यास भत्ता मिल रहा था। डॉक्टरों और चिकित्सकों को भी भत्ता मिल रहा था। अपीलार्थी ने एक नीतिगत

निर्णय निर्धारित किया जिसके तहत 2000-3500 रुपये के वेतनमान में डॉक्टरों और चिकित्सकों को का गैर-अभ्यास भत्ता बढाया गया। इसने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रावधान किया कि यह भत्ता 2000-3500 रुपये से कम वेतनमान वाले पदों के धारकों के लिए भत्ता स्वीकार्य नहीं था। हालाँकि, यह उन लोगों की सुरक्षा करता है जो पहले से ही भत्ता प्राप्त कर रहे हैं। भत्ते की बढ़ी हुई दर के लिए प्रतिवादी के दावे की स्वीकार नहीं किया गया।

भत्ते की बढ़ी हुई दर का दावा करने वाली रिट याचिका को उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा स्वीकार किया गया जिसमें कहा गया था कि डॉक्टर/चिकित्सक और अनुसंधान अधिकारियों के साथ अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता था और राज्य ने प्रतिवादी के गैर-अभ्यास भत्ते को नहीं बढ़ाया था और बिना किसी भेदभाव के व्यवहार के लिए कोई उचित आधार होने के पक्षद्रोही भेदभाव किया था। खंड पीठ ने अपील को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया।

इस न्यायालय में अपील करते हुए, अपीलार्थी ने तर्क दिया कि सामान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत लिए लागू नहीं किया जा सकता था और उच्च न्यायालय ने विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए भत्ता तय करने में केंद्र सरकार के नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप किया।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया**:** 1. इस प्रकृति के मामले में समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता है। जो डॉक्टर और चिकित्सक

एलोपैथिक पक्ष पर नियुक्त किए गए थे और उच्च वेतनमान प्राप्त कर रहे थे, उनके साथ अलग तरह से व्यवहार किया जा सकता था। केवल इसलिए कि एक समय में अनुसंधान सहायकों और डॉक्टरों को गैर-अभ्यास भत्ते का लाभ दिया गया था, इसका मतलब यह नहीं होगा कि भेदभाव किया गया है। यदि कर्मचारियों की दूसरी शाखा के कर्मचारियों को कोई वित्तीय नुकसान पहुँचाए बिना और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वे स्वयं एक वर्ग बनाते हैं, डॉक्टरों और चिकित्सकों को गैर-अभ्यास भत्ते की अधिक राशि प्रदान की जाती है, तो यह अपने आप में एक असमान व्यवहार का कारण नहीं होगा। [721-जी-एच; 722-ए-बी]

2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 से जुड़े परंतुक के तहत प्रदत्त अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य अपने कर्मचारियों की सेवा की शर्तें तय करने का हकदार है। इस संबंध में बनाए गए किसी नियम के अभाव में, सेवा की ऐसी शर्तें कार्यकारी निर्देश के आधार पर तय की जा सकती हैं। 2000-3500 रुपये से कम वेतनमान वाले पदों के धारकों को कोई गैर-अभ्यास भत्ता नहीं दिया जाना था। हालाँकि, मौजूदा पदधारियों के मामले में जो गैर-अभ्यास भत्ता प्राप्त कर रहे थे, उसे जारी रखने का निर्देश दिया गया था। [721-ई-एफ]

3. राज्य का एक नीतिगत निर्णय जब तक कि किसी के कानूनी अधिकार को प्रभावित न करे, उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। सवाल यह है कि क्या कर्मचारियों के एक वर्ग को कुछ भत्ते दिए जाएंगे या नहीं और वह भी किस दर पर,

मूल रूप से नीति का सवाल है। संबंधित कर्मचारी अधिकार के रूप में गैर-अभ्यास भत्ते का दावा नहीं कर सकते हैं। [722-सी]

ज्वाइंट एक्शन काउंसिल ऑफ सर्विस डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन एंड अन्य बनाम भारत संघ और अन्य [1996] 7 एससीसी 256, पर भरोसा किया।

4. हालाँकि कुछ प्रकारों के भत्तों के संबंध में भेदभाव का अनुमान लगाया जा सकता है लेकिन गैर-अभ्यास भत्ता कुछ अलग स्तर पर होगा। [722-एफ-जी]

डॉ. सुश्री ओ.जेड. हुसैन बनाम भारत संघ, [1990] पूरक एससीसी 688, संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 6519/1999

रिट अपील संख्या 6(एसएच)/1996 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 7.8.98 से।

ए.के. पांडा, हेमंत शर्मा, डी.एस. मेहरा और अरविंद कुमार शर्मा, अपीलार्थी की ओर से।

व्यक्तिगत रूप से प्रत्यर्थी (उपस्थित नहीं)

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया-

एस.बी. सिन्हा, न्यायाधिपति

यह अपील गुवाहाटी उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा रिट याचिका सं.6/1998 में निर्णय और आदेश दिनांक 07.08.1998 के खिलाफ निर्देशित है, जिसके

द्वारा और जिसके अंतर्गत प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार किये जाने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

प्रत्यर्थी को 28.09.1987 को पूर्व संशोधित वेतनमान रुपये 425-700 (संशोधित 1400-2300) में केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद में अनुसंधान सहायक (एच) के रूप में नियुक्त किया गया था। वह गैर-अभ्यास भत्ता (एनपीए) पूर्व संशोधित वेतनमान में 75 रुपये की दर से प्राप्त कर रहा था। हालाँकि, डॉक्टरों और चिकित्सकों को पूर्व-संशोधित वेतनमान में 150 रुपये की दर से गैर-अभ्यास भत्ता मिल रहा था। 2000-3500 रुपये के वेतनमान में डॉक्टरों और चिकित्सकों के गैर-अभ्यास भत्ता भारत सरकार के दिनांक 27.02.1991 के आदेश के अनुसार 1.1.1986 से संशोधित किया गया था। प्रत्यर्थी द्वारा गैर-अभ्यास भत्ते की बढ़ी हुई दर का दावा करते हुए एक अभ्यावेदन दिया गया था जिसे स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद प्रत्यर्थी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई, जिसमें डॉक्टरों और चिकित्सकों को किये गए गैर-अभ्यास भत्ते का भुगतान के संशोधन के अनुरूप अपीलकर्ता को बढ़ी हुई दर पर गैर-अभ्यास भत्ते का भुगतान करने का निर्देश देने के लिए या परमादेश की प्रकृति की एक रिट जारी करने की प्रार्थना की गई।

उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने निर्धारण के लिए एक प्रश्न तैयार किया कि क्या यहाँ प्रत्यर्थी को गैर-अभ्यास भत्ते पर कोई वृद्धि न देने के कारण अपीलार्थी द्वारा पक्षद्रोही भेदभाव का शिकार बनाया गया था। भारत के संविधान के

अनुच्छेद 14 और 39(डी) में निर्धारित सिद्धांतों को लागू करते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने निर्धारित किया कि एक ओर डॉक्टरों और चिकित्सकों और दूसरी ओर होम्योपैथिक विभाग में अनुसंधान अधिकारियों के साथ अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार, अपीलकर्ताओं को अलग व्यवहार करने के लिए प्रत्यर्थी को देय गैर-अभ्यास भत्ते को बढ़ाने के मामले में कोई उचित आधार होने के बिना पक्षद्रोही भेदभाव करने के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए।

यहाँ अपीलकर्ताओं द्वारा की गई अपील पर विद्वान एकल न्यायाधीश के उक्त निर्णय को उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा एक गैर-मौखिक आदेश द्वारा सरसरी तौर पर खारिज कर दिया गया था।

श्री ए.के. पांडा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित हुए हुए प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत को लागू करने में एक गंभीर त्रुटि की और इस तरह विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए गैर-अभ्यास भत्ता तय करने में केंद्र सरकार के नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप किया।

इसमें कोई विवाद नहीं है कि भारत सरकार ने निदेशक, केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद, सिद्दा को संबोधित अपने पत्र दिनांक 27.02.1991 के सन्दर्भ में गैर अभ्यास भत्ते के अनुदान के सम्बन्ध में एक नीति निर्धारित लिया है, जिसमे कहा गया है:

"मुझे उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के पत्र संख्या 28015/21/780 एवाई डेस्क आईएसएम खंड-1 भाग-1 दिनांक 10 देच्म्बेर 1981 का संदर्भ आमंत्रित करने का

निर्देश दिया गया है और में कहता हूँ कि 1.1.1986 से प्रभावी संशोधित वेतनमान के सन्दर्भ में गैर-अभ्यास भत्ता (एनपीए) को जारी रखने या इसकी दरों में संशोधन के सम्बन्ध में प्रश्न कुछ समय से सरकार के विचाराधीन है। अब यह निर्णय लिया गया है कि 2000-3500 रुपये और उससे अधिक के पैमाने पर आईएसएम और एच.चिकित्सक को नीचे बताई गई गैर-अभ्यास भत्ते की दरों से और तारीखों से अनुमति दी जा सकती है:

संशोधित वेतन में वेतन सीमा	संशोधित वेतनमान के विकल्प की तिथि से एनपीए की दर 1.1.96 से, जो भी बाद में हो
ए.	
(i) मूल वेतन 2000 से 2999 रुपये	600 रुपये
(ii) मूल वेतन 3000 से 3699 रुपये	800 रुपये
(iii) मूल वेतन 3700 रुपये से अधिक	900 रुपये
	1.10.1997 से
(i) मूल वेतन 2000 से 2999 रुपये	600 रुपये
(ii) मूल वेतन 3000 से 3699 रुपये	800 रुपये
(iii) मूल वेतन 3700 से 5900 रुपये	950 रुपये
(iv) मूल वेतन 6000 रुपये और अधिक	1000 रुपये

2. 2000-3500 रुपये से कम वेतनमान वाले पदों के धारकों को कोई गैर-अभ्यास भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा। हालांकि, मौजूदा पदधारियों की सुरक्षा के लिए जो पहले से ही

एचपीए प्राप्त कर रहे हैं, गैर-अभ्यास भत्ता को पूर्व संशोधित वेतनमान में अनुमानित वेतन से सम्बंधित दरों के सन्दर्भ में जारी रखा जा सकता है जैसा कि इस मंत्रालय के दिनांक 19.12.1981 के पत्र में दर्शाया गया है।

3. कर्मचारियों को गैर-अभ्यास भत्ता देते समय यह सुनिश्चित किया जय कि उन्हें निजी अभ्यास की अनुमति नहीं दी गई है। ऐसे कर्मचारियों को जारी किये गए ऐसे आदेश, यदि कोई हो, वापस लेने की तारिख से गैर-अभ्यास भत्ता दिया जा सकता है।"

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 से जुड़े परंतुक के तहत प्रदत्त अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य अपने कर्मचारियों की सेवा की शर्तें तय करने का हकदार है। इस संबंध में बनाए गए किसी नियम के अभाव में, सेवा की ऐसी शर्तें कार्यकारी निर्देश के आधार पर तय की जा सकती हैं। उक्त पत्र दिनांक 27.2.1991 के पैरा 2 के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि 2000-3500 रुपये से कम वेतनमान वाले पदों के धारकों को कोई गैर-अभ्यास भत्ता नहीं दिया जाना था। हालाँकि, मौजूदा पदधारियों के मामले में जो गैर-अभ्यास भत्ता प्राप्त कर रहे थे, उसे जारी रखने का निर्देश दिया गया था।

हम यह देखने में विफल हैं कि इस प्रकृति के मामले में समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत कैसे लागू किया जा सकता है। जो डॉक्टर और चिकित्सक एलोपैथिक पक्ष में नियुक्त किए गए और उच्च बेतनमान प्राप्त कर रहे थी, उनके साथ अलग तरह से व्यवहार किया जा सकता था। केवल इसलिए कि एक समय में अनुसंधान सहायक और डॉक्टरों को गैर-अभ्यास का लाभ दिया गया था, इसका अपने

आप में यह मतलब नहीं होगा कि भेदभाव किया गया है। प्रत्यर्थी अनुसंधान सहायक के रूप में कार्यरत था और 1400-2300 रुपये के वेतनमान पर 75 रुपये प्रति माह की दर से गैर-अभ्यास प्राप्त कर रहा था। हालाँकि, डॉक्टर और चिकित्सक 2000-3500 रुपये के वेतनमान पर थी और उन्हें 150 रुपये प्रति माह की दर से गैर-अभ्यास भत्ता मिलता था। तत्पश्चात, यदि कर्मचारियों की दूसरी शाखा के पदाधिकारियों को कोई वित्तीय नुकसान पहुँचाए बिना और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वे स्वयं एक वर्ग बनाते हैं, तो डॉक्टरों और चिकित्सकों को गैर-अभ्यास भत्ते के एक उच्च राशी दी जाती है। हमारी सुविचारित राय में, एक असमान व्यवहार की ओर नहीं ले जाएगा।

राज्य का कोई नीतिगत निर्णय जब तक कि किसी के कानूनी अधिकार को प्रभावित न करे, उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। सवाल यह है कि क्या कर्मचारियों के एक वर्ग को कुछ भत्ते दिए जायेंगे या नहीं और वह भी किस दर पर, मूल रूप से नीति का सवाल है। संबंधित कर्मचारी अधिकार के रूप में गैर-अभ्यास भत्ते का दावा नहीं कर सकते हैं।

इसी तरह का एक प्रश्न इस न्यायालय के समक्ष जॉइंट एक्शन काउंसिल ऑफ सर्विस डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, [1996] 7 एससीसी 256 में संयुक्त रूप से विचार के लिए आया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया थाः

> “हमारे अनुसार, वर्तमान मूल रूप से नीति का सवाल है और इस संबंध में दावा किसी भी अधिकार पर आधारित नहीं है। यहाँ तक

नीति का संबंध है, मौजूदा उद्देश्य के लिए गैर-अभ्यास भत्ता को बाहर करने का कुछ औचित्य हो सकता है क्योंकि यह भत्ता सभी सेवा डॉक्टरों को भुगतान नहीं किया जाता है। अतः यदि इस भत्ते को मौजूदा उद्देश्य के लिए शामिल किया जाता है, तो यह कुछ सेवा डॉक्टरों के लिए भी नुकसानदेह को सकता है। हम इससे अधिक कुछ और नहीं का सकते क्योंकि यह मामला वर्तमान में पांचवें वेतन के विचाराधीन है।"

यह और भी स्पष्ट है कि हालांकि कुछ प्रकार के भत्तों के सम्बन्ध में भेदभाव का अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन गैर-अभ्यास भत्ता कुछ अलग स्टार पर खड़ा होगा [देखें डॉ. सुश्री ओ.जेड. हुसैन बनाम भारत संघ, [1990] पूरक एससीसी 688]।

उपरोक्त कारणों से, हमारी राय है कि आक्षेपित निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता है जिसे तदनुसार रद्द कर दिया गया है। अपील स्वीकार की जाती है। यधपि, चूंकि प्रत्यर्थी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

के.के.टी.

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक अधिवक्ता विनायक कुमार जोशी की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।

*****